



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
मध्यग्रन्थी/शिवपुरी/भू-रा/2017] 2373
पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

1. रीताराम,
2. रामदास पुत्रगण श्री ललनजू लोधी
निवारी- ग्राम बडोरा तहसील करैरा जिला
शिवपुरी (म.प्र.)

मेरा आज दि 25.7.17 को

प्रस्तुत

फलंक ऑफ कोर्ट 25.7.17

राजस्व मण्डल मध्य ग्वालियर

--आवेदकगण

विरुद्ध

1. अजबसिंह पुत्र श्री भैया लाल लोधी,
2. पवन कुमार पुत्र श्री भैया लाल लोधी,
3. भैयालाल पुत्र श्री वैजनाथ,
4. भवानी सिंह पुत्र श्री अमर सिंह,
5. अमर सिंह पुत्र श्री वैजनाथ,
6. विक्रमसिंह पुत्र श्री वैजनाथ लोधी,
7. बालकृष्ण पत्र श्री वैजनाथ लोधी,
निवारीगण- ग्राम बडोरा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--असल अनावेदकगण

8. लखन पुत्र श्री रीताराम लोधी, निवारी
ग्राम बडोरा तहसील करैरा जिला
शिवपुरी(म.प्र.)

--तरतीवी/अनावेदक

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील करैरा,
जिला शिवपुरी म.प्र., द्वारा प्रकरण क्रमांक
77/2016-17/अ-27 में की गयी कार्यवाही एवं
पारित दिनांक 18/07/2017 सहपात्र आदेश दिनांक
13/07/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

1. यहकि, ग्राम बडोरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में स्थित भूमि रार्ट क्र. 1418 रकबा 0.11 है,, 1422 रकबा 0.42 है,, 1424 रकबा 0.04 है,, 1425 रकबा 0.14 है. एवं 1427 रकबा 0.36 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.070 है. में से आवेदकगण हिस्सानुसार 1/2 भाग एवं अनावेदक क्र. 8 का हिस्सानुसार 1/12 एवं अनावेदक क्र. 1 लगायत

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2373

सीताराम आदि विरुद्ध अजब सिंह आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| १८/८/१९ | <p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 77/2016-17/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 18/07/17 विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> | |
| | <p><i>hyew</i> (आर0क0) जैन १८/८/१९ सदस्य</p> | |